



जिले में गौण खनिज का अवैध उत्खनन कर परिवहन पुलिस विभाग की कड़ी कार्रवाई : 8 पर मामला दर्ज

3 मामलों में 17 लाख 38 हजार का गौण खनिज सहित वाहन जप्त



बुलंद गोंदिया - गोंदिया जिले में गौण खनिज गिट्टी, रेती, मुरुम, मिट्टी का बिना शासन की मंजूरी के बड़े पैमाने पर अवैध रूप से खनन कर परिवहन किया जा रहा है। जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के आदेशानुसार गोंदिया पुलिस द्वारा जिले के तीन अलग-अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गौण खनिज व वाहन सहित 17 लाख 34 हजार रुपए का माल जप्त कर चार लोगों पर मामला दर्ज

किया। गौरतलब है कि गोंदिया जिले में रेती, गिट्टी, मुरुम, मिट्टी, बजरी जैसे गौण खनिज का बड़े पैमाने पर अवैध रूप से परिवहन कर शासन के राजस्व को डुबाने का कार्य किया जा रहा है। जिसमें बिना मंजूरी के गौण खनिज का उत्खनन करनेवालों पर नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले द्वारा लगाम लगाने के लिए जिले के सभी पुलिस थानों के निरीक्षकों को कड़े निर्देश दिए थे।

जिस के अनुसार लोकल क्राइम ब्रांच व संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। इसी के तहत जिले के तीन अलग-अलग थाना अंतर्गत लोकल क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई कर बिना मंजूरी के अवैध रूप से गौण खनिज का उत्खनन कर परिवहन करनेवालों पर कार्रवाई की गई है।

जिसमें पहली कार्रवाई लोकल क्राइम ब्रांच द्वारा रावणवाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत रावणवाड़ी से कामठा परिसर में मुंडीपार से कामठा में मुंडीपार नाले से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर ट्रैक्टर क्रमांक एम एच-35 एआर-6784 में एक ब्रास रेती ट्रैक्टर चालक सुशील गणेश गौतम निवासी मुंडीपार द्वारा परिवहन किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई। वहीं दूसरा मामला पुलिस स्टेशन सड़क अर्जुनी के अंतर्गत सिरौली महागांव परिसर में गिधाडी पहाड़ी परिसर से अवैध रूप से गौण खनिज का उत्खनन कर बिना किसी मंजूरी के मुरुम की चोरी कर ट्रैक्टर क्रमांक एमएच-35 एआर-4998 में एक ब्रास मुरुम ट्रैक्टर मालक दूधराम जयराम लंजे व चालक गुरुदेव सखाराम नेवारे निवासी सिरौली द्वारा किया जा रहा था। जिसमें 11 लाख 6 हजार का गौण खनिज व ट्रैक्टर जप्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही वरिष्ठ

अधिकारियों के निर्देश पर लोकल क्राइम ब्रांच के अन्हाड के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक विघ्ने, पुलिस हवलदार ठाकरे, राहंगडाले, कापगते, पुलिस सिपाही मानकर के दार द्वारा की गई है।

तीसरा मामला आमगांव पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया। जिसमें लोकल क्राइम ब्रांच के विशेष पथक के पुलिस उप निरीक्षक विघ्ने के नेतृत्व में कालीमाटी से गिरौला की ओर जानेवाले मार्ग पर पोकरोला नाले से अवैध रूप से रेत का उत्खनन

कर ट्रैक्टर क्रमांक एमएच-35 एजी-3891 में एक ब्रास रेती ट्रैक्टर चालक मनोहर योगेश्वर फर कुंडे निवासी भोसा आमगांव पर आमगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। उपरोक्त सभी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक गोंदिया देवरी कैंप अशोक बनकर के दिए गए आदेश अनुसार लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक बबन आन्हाड के मार्गदर्शन में लोकल क्राइम ब्रांच के विशेष पथक द्वारा की गई।



शिकार के लिए खेत परिसर में लगाए गए विद्युत तार के करंट की चपेट में आकर दो युवकों की मौत देवरी के ग्राम परसटोला की घटना



बुलंद संवाददाता देवरी - गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले देवरी तहसील के ग्राम परसटोला के खेत परिसर में वन्यजीवों के शिकार के लिए लोहे के तार में विद्युत प्रवाहित कर लगाया गया था। जिसकी चपेट में आकर ग्राम परसटोला के दो युवकों की मौत हो गई। उपरोक्त घटना शनिवार 5 नवंबर की रात 11.45 के करीब घटित हुई है।

गौरतलब है कि गोंदिया जिला संरक्षित वन क्षेत्र व वन क्षेत्र से गिरा हुआ है जिसके चलते वन्यजीवों के शिकार व वन्यजीवों से किसानों द्वारा अपनी फसलों को बचाने के लिए अधिकांश किसान गैरकानूनी रूप से लोहे के तार लगाकर विद्युत करंट प्रभावित कर देते हैं। जिससे फसल तो बच जाती है किंतु इस अनाधिकृत कार्य के चलते कई बार मनुष्य भी इसकी चपेट में आकर काल के गाल में समा जाता है। इसी प्रकार का एक मामला देवरी शहर से लगे ग्राम परसटोला में शनिवार 5 नवंबर की रात 11.45 के करीब घटित हुई है। जिसमें ग्राम परसटोला देवरी निवासी आशीष कोसरे (26 व अनमोल गायकवाड़ (22) खेत परिसर में लगाए गए विद्युत करंट के तार की चपेट में आकर मौत हो गई।

उपरोक्त मामले में देवरी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित खेत मालिक द्वारा शिकार के उद्देश्य से लोहे के तार में विद्युत करंट लगाया गया था रात के समय दोनों युवक खेत परिसर में जाने पर विद्युत करंट की चपेट में आने से उनकी मौत होने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। तथा उपरोक्त मामले में देवरी पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई है।

दलित अधिकार आंदोलन के सम्मेलन में जिला समिती का गठन

बुलंद गोंदिया - अखिल भारतीय दलित अधिकार आंदोलन का प्रथम जिला प्रतिनिधी समेलन कामगार भवन गोंदिया में एड.अशोक बोरकर की अध्यक्षता में राज्य संयोजक कॉम्रेड शिवकुमार गनवीर (भंडारा) के प्रमुख उपस्थिति में सर्व प्रथम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर एंवम कार्ल मार्क्स के तैलचित्र पर माल्यार्पण के साथ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विजयवाड़ा में संपन्न महाधिवेशन में राष्ट्रीय परिषद सदस्य पद पर निर्वाचन पर शिवकुमार गनवीर का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया गया। संयोजक मिलिंद गनवीर के प्रास्ताविक संबोधन के पश्चात डॉ.हौसलाल राहंगडाले, डॉ. रामचंद्र पाटील, डॉ.करुणा गनवीर, अशोक मेश्राम, शालुताई कुधे ने अपने विचार व्यक्त किए। इस सम्मेलन के प्रमुख अतिथि वक्ता डॉ. शिवकुमार गनवीर अपने संबोधन में कहा कि, एक ओर जहां हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं दुसरी ओर उत्तरप्रदेश के लखीमपुर (खिरी) में दो दलित लड़कीयों की



पाशाविक बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती हैं। तो राजस्थान में पाटशाला के एक दलित छात्र की स्वर्ण समाजी शिक्षक पिट-पिटकर इसीलिए हत्या कर देते हैं कि उस छात्र ने मटके का पानी पी लिया। ऐसी दलितों पर अत्याचार की अनगित घटनाएं होते रहती हैं। एक सर्वे के मुताबिक अपने देश में प्रती दस मिनट में एक घटना को अंजाम दिया जाता है। भाजपा के शासन काल में दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में बेहद वृद्धि होकर विरोधी दल शासीत राज्य में भी ऐसी घटनाओं

का होना आम बात हो गई है। उन्होंने दलितों का आर्थिक और सामाजिक विकास करने वाली योजनाओं को भी कटौती करने साथ सरकार इन सेवाओं का निजीकरण कर अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को खत्म कर रही हैं और भूमि वितरण, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवास की योजनाओं को ठप्प किया जा रहा है और विकास योजनाओं के फंडिंग में बड़े पैमाने पर कटौती की जा रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में वर्ग और वर्ण संघर्ष में समन्वय स्थापित कर एक

राष्ट्रव्यापी संगठन की आवश्यकता के मद्देनजर हाल ही में औरंगाबाद में अखिल भारतीय दलित अधिकार आंदोलन की स्थापना की गई और इसी पृष्ठभूमि में देश के 5 प्रमुख संगठनों का 5 नवंबर को दिल्ली में नेशनल कन्वेंशन हुआ।

इन सवालों को लेकर संयुक्त अभियान और राज्यो की राजधानीयों पर आंदोलन का आन्धान किया गया। इस कन्वेंशन में महाराष्ट्र के 22 प्रतिनिधीयों ने शिरकत की जिसमें मिलिंद गनवीर का शमावेश था। इस प्रतिनिधी सम्मेलन जिला समिती का सर्वसम्मत् चुनाव किया गया, जिसमें मिलिंद गनवीर (अध्यक्ष), रामचंद्र पाटील (कार्याध्यक्ष), शंकर बिंझलेकर, चरणदास भावे (उपाध्यक्ष), अशोक मेश्राम (सचिव), करुणा गनवीर (सहसचिव), प्रल्हाद उके (सहसचिव), सुरेश रंगारी (कोषाध्यक्ष) तथा सदस्यों में कल्पना डोंगरे, कल्पना शहारे, अमित खोब्रागडे, एवन मेश्राम सहित 15 सदस्यों का समावेश है, जो 9 दिसंबर को मुंबई में होने वाले राज्य सम्मेलन में भाग लेंगे।

धान खरीदी के 100 केंद्रों को मंजूरी अब साल में चार बार होगा मतदाता पंजीयन

राष्ट्रवादी कांग्रेस के आंदोलन को मिली सफलता

बुलंद गोंदिया - इस वर्ष मानसून की वापसी होने के चलते जिले के किसानों पर गीले अकाल जैसी परिस्थिति निर्माण हो गई थी तथा अतिवृष्टि के चलते फसलों को भी नुकसान होने के साथ ही फसलों पर कीड़ों का प्रकोप के चलते फसल को हानि होने की संभावना निर्माण हो गई थी। इन सभी परिस्थितियों का सामना करने वाले किसानों पर राज्य सरकार द्वारा दुर्लक्ष किया जा रहा था। खरीफ मौसम में फसल की कटाई व चुराई का काम शुरू होने के बावजूद शासकीय आधारभूत केंद्र खरीदी केंद्र शुरू नहीं किए गए थे। जिसके चलते किसानों द्वारा अपनी धान की फसल की बिक्री कहां किए जाए यह प्रश्न निर्माण हो गया था तथा किसानों को व्यापारियों के समक्ष कम कीमत पर धान की बिक्री करने की नौबत आ गई थी। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष द्वारा किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने तथा उनके विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की भूमिका अपनाने के साथ ही सांसद प्रफुल पटेल के मार्गदर्शन में जिले



के विभिन्न स्थानों पर आंदोलन व प्रदर्शन भी किया गया था। तथा धान खरीदी केंद्र तत्काल शुरू किए जाए इस मांग का निवेदन प्रशासन के माध्यम से सरकार को दिया गया था। साथ ही सांसद पटेल द्वारा जिले के प्रशासन से लेकर मंत्रालय तक उपरोक्त मांग का निवेदन भी दिया गया था। किसानों को इन मांगों को लेकर पूर्व विधायक राजेंद्र जैन द्वारा 5 नवंबर तक धान खरीदी केंद्र शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। जिसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा जिले में 100 आधारभूत शासकीय धान खरीदी केंद्रों को मंजूरी देने के साथ ही जल्द से जल्द धान खरीदी शुरू करने का आदेश दिया है।

बुलंद गोंदिया - अब तक 1 जनवरी मतदाता पंजीकरण के लिए अर्हक तिथि थी यानी 01 जनवरी या उससे पहले 18 साल पूरे करने वाले नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। हालांकि, 2023 से, जो नागरिक जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में किसी तारीख को या उससे पहले अठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, वे 9 नवंबर से 8 दिसंबर 2022 तक एक विशेष अभियान के तहत अग्रिम मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकेंगे।

पारदर्शी और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव करने के लिए मतदाता सूची का अद्यतनीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। मसौदा सूची 09 नवंबर, 2022 को मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय की वेबसाइट और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में प्रकाशित की गई है। मतदाताओं को मतदाता सूची में अपने विवरण जैसे नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आयु, पहचान पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र आदि की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सही हैं।

कई मतदाताओं की शिकायत है कि मतदान के दिन उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। इसलिए, मतदाताओं के लिए अब प्रोफार्मा मतदाता सूची में अपने विवरण की जांच करना महत्वपूर्ण है। 09 नवंबर से 08 दिसंबर, 2022 तक की अवधि मतदाता पंजीकरण के साथ-साथ किसी के नाम के संबंध में आपत्ति के लिए है। यदि किसी निर्वाचन

क्षेत्र का कोई मतदाता सूची में दिए गए पते पर निवास नहीं करता है, तो उसी निर्वाचन क्षेत्र का कोई अन्य मतदाता ऐसे नाम पर आपत्ति कर सकता है। इसमें कोई तथ्य पाए जाने पर संबंधित मतदाता का नाम सत्यापन के बाद विलोपित कर दिया जाता है। ऐसे अपात्र मतदाताओं का बहिष्कार भी मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस वर्ष विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के अवरर पर प्रदेश भर में 19 व 20 नवम्बर व 3 व 4 दिसम्बर 2022 को विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही, वंचित समूहों के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। 12 व 13 नवंबर को महिलाओं व दिव्यांगों के नाम पंजीकरण के लिए प्रदेश भर में विशेष कैंप लगे, जबकि 26 व 27 नवंबर को प्रदेश भर में तृतीय श्रेणी के नागरिकों, महिलाओं के नाम के रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। वेश्यावृत्ति और बेघर खानाबदोशों और आदिवासियों में साथ ही, युवा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना, नेहरू युवा केंद्र संगठन, भारत स्काउट के सहयोग से राज्य भर में मतदाता पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने, विवरण में सुधार की सुविधाएं वेबसाइट www.nvsp.in और www.cao.maharashtra.gov.in और मोबाइल ऐप वोटर हेल्पलाइन पर उपलब्ध हैं।

संपादकिय

बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस फीसद आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है।

अब शिक्षा और नौकरी में गरीब वर्गों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। सोमवार को पांच सदस्यों वाले संविधान पीठ ने तीन-दो के बहुमत से एक सी तीन वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखते हुए यह फैसला दिया। प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट ने इस संविधान संशोधन को वैध नहीं माना, जबकि तीन न्यायाधीशों न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला ने इसके पक्ष में फैसला दिया।

सर्वोच्च अदालत का यह फैसला स्वागतयोग्य माना जाना चाहिए, क्योंकि संविधान पीठ ने इस मुद्दे की मूल भावना को केंद्र में रखते हुए उसे तरजीह दी और सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को ऊपर लाने और इस दिशा में सरकार के प्रयासों को पर अपनी सहमति दी। हालांकि आरक्षण हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और इससे जुड़े मुद्दों को लेकर विवाद उठते रहे हैं। ऐसे में इस पर सहमति-असहमति बनना भी स्वाभाविक है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में एक सी तीन वां संविधान संशोधन लागू कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया था। लेकिन इस संविधान संशोधन को संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताते हुए इसकी वैधता को चुनौती दी गई थी।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण सुनिश्चित करने वाले एक सी तीन वें संविधान संशोधन के विरोध के पीछे बड़ा कारण यह बताया गया कि इससे संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है। प्रधान न्यायाधीश ने भी अपने फैसले में इस को रेखांकित किया है। प्रधान न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि संविधान सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ की इजाजत नहीं देता है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देना संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है।

लेकिन संविधान पीठ के जिन जजों ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया, वे सभी इस बात पर सहमत थे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस फीसद का आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का नहीं से उल्लंघन नहीं करता। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायमूर्ति पारदीवाला ने साफ कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण अनिश्चितकाल के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। संविधान पीठ के बहुमत वाले सदस्यों ने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण इसलिए भी जरूरी है ताकि समतावादी समाज के लक्ष्य की ओर एक सर्व समावेशी तरीके से आगे बढ़ना सुनिश्चित किया जा सके।

सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद सरकार के लिए अब बड़ी चुनौती अब इस फैसले पर अमल की है। देखना होगा कि सरकार कैसे ईमानदारी के साथ इसे लागू करवाती है। आरक्षण को लेकर एक बड़ा सवाल अब तक यही उठता रहा है कि सामाजिक रूप से जिन पिछड़े और दबे-कुचले वर्गों को आरक्षण का लाभ देकर उन्हें ऊपर लाना चाहिए था, उसमें सरकार सफल नहीं हो पाई। आरक्षण का लाभ लेकर हर तरह से संपन्न बने लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए आरक्षण को लेकर एक तार्किक नीति बनाने की मांग भी लंबे समय से उठती रही है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के पीछे भी मूल भावना यही है कि सिर्फ आर्थिक अभाव की वजह से कोई अवसरों में न पिछड़े। अगर सरकार और राजनीतिक दल वाकई देश के कमजोर तबकों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो इसे सिर्फ चुनावी फायदे के रूप में देखने की प्रवृत्ति से मुक्ति पानी होगी और राजनीति से ऊपर उठ कर पहल करनी होगी। तभी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का भला हो पाएगा।

क्रांतिसूर्य बिरसा मुण्डा

15 NOV जयंती



बिरसा मुण्डा का जन्म 15 नवम्बर 1875 के दशक में छोटा किसान के गरीब परिवार में हुआ था। मुण्डा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर पठार (झारखण्ड) निवासी थे। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें 2 साल का दण्ड दिया।

अंभिक जीवन

इनका जन्म मुंडा जनजाति के गरीब परिवार में पिता-सुगना पुर्ती (मुंडा) और माता-करमी पुर्ती (मुंडा) के सुपुत्र बिरसा पुर्ती (मुंडा) का जन्म 15 नवम्बर 1875 को झारखण्ड के खुटी जिले के उलीहातु गाँव में हुआ था। जो निषाद परिवार से थे, साला गाँव में प्रारम्भिक पढ़ाई के बाद इन्होंने चाईबासा जी.ई.एल. चार्च (गोस्नर एंवजिलकल

मुण्डा) विद्यालय में पढ़ाई किये थे। इनका मन हमेशा अपने समाज में लगा रहता था। ब्रिटिश शासकों द्वारा की गयी भुरी दशा पर सोचते रहते थे। उन्होंने मुण्डा/मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिये अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर पठार, छोटानागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की।

मुंडा विद्रोह का नेतृत्व

1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर इन्होंने अंग्रेजों से लगान (कर) माफी के लिये आन्दोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केन्द्रीय कारागार में दो साल के कारावास की सजा दी गयी। लेकिन बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें उस इलाके के लोग धरती आबा

के नाम से पुकारा और पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी

विद्रोह में भागीदारी और अन्त 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूँटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गयी। लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियाँ हुईं।

जनवरी 1900 डोम्बरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ था जिसमें बहुत सी औरतें व बच्चे मारे गये थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियाँ भी हुईं। अन्त में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा ने अपनी अन्तिम साँसें 9 जून 1900 ई को अंग्रेजों द्वारा जहर देकर मार दिया गया। उन्होंने 1900 को राँची कारागार में अंतिम साँसे लीं। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड,



छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुण्डा को भगवान की तरह पूजा जाता है।

बिरसा मुण्डा की समाधि राँची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनका स्टेचू भी लगा है। उनकी स्मृति में राँची में बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।



को देखते हुए, इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। विश्व स्तर पर बाल दिवस का कार्यक्रम बाल दिवस का दिन पूरे विश्व भर में अलग-अलग दिन माना जाता है पर हर जगह इसका मकसद एक ही होता है, यानी बच्चों के अधिकारों के रक्षा करना और उन्हें बुनायदी सुविधाएँ मुहैया करवाना। विश्व में पहली बार बाल दिवस का कार्यक्रम जून 1857 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर में पादरी डॉ. चार्ल्सलेनर्ड द्वारा आयोजित किया गया था, हालांकि जून के दूसरे रविवार को आयोजन के कारण इसे पहले इसे फ्लोर संडे का नाम दिया पर बाद में इसके नाम को बदलकर बाल दिवस (चिलड्रेन्स डे) कर दिया गया।

भारत में बाल दिवस का कार्यक्रम

इस दिन विद्यालयों और संस्थाओं द्वारा

विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं जैसे कि खेल प्रतियोगिताएँ, फेंसी ड्रेस प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता आदि। इस दिन अधिकतर बच्चे फेंसी ड्रेस प्रतियोगिता में अपने प्रिय चाचा नेहरु की वेशभूषा धारण करके आते हैं। इन प्रतियोगिताओं के साथ ही अध्यापकों और वरिष्ठजनों द्वारा बच्चों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में भी बताया जाता है ताकि आगे चलकर वह एक अच्छे और सजग व्यक्ति बन सकें।

बाल दिवस का महत्व

हम में से कई लोग सोचते हैं कि बाल दिवस को इतने उत्साह या बड़े स्तर पर मनाने की क्या जरूरत है परन्तु इस बात का अपना ही महत्व है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चों को देश का भविष्य माना जाता है और यदि बचपन से उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में पता होगा तो वह अपने खिलाफ होने वाले अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकेंगे। इसके साथ ही यदि उन्हें इन बातों का ज्ञान रहेगा तो

उनके अंदर बुराई और अन्याय के प्रति आवाज उठाने की प्रवृत्ति जागृत होगी।

यदि हम चाहे तो कुछ बातों पर अमल करके बाल दिवस के इस दिन को और महत्वपूर्ण बना सकते हैं-

- बाल दिवस को स्कूलों और संस्थानों तक ही सीमित ना रखकर इसका छोटे स्तर पर गरीब और जरूरतमंद बच्चों के बीच आयोजन करना चाहिए ताकि वह भी अपने अधिकारों के विषय में जान सकें।
- छोटे बच्चों के मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन करके।
- बाल दिवस को स्कूलों और संस्थानों तक ही सीमित ना रखकर इसका छोटे स्तर पर गरीब और जरूरतमंद बच्चों के बीच आयोजन करना चाहिए ताकि वह भी अपने अधिकारों के विषय में जान सकें।
- छोटे बच्चों के मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन करके।
- बाल दिवस को स्कूलों और संस्थानों तक ही सीमित ना रखकर इसका छोटे स्तर पर गरीब और जरूरतमंद बच्चों के बीच आयोजन करना चाहिए ताकि वह भी अपने अधिकारों के विषय में जान सकें।
- जरूरतमंद बच्चों में भोजन, खिलौने, पुस्तकें और अन्य जरूरत की वस्तुएँ बाँटकर।
- यदि हम चाहे तो बाल मजदूरी रोकने के लिए जरूरतमंद बच्चों की सहायता कर सकते हैं और उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करके तत्कालीन के ओर अग्रसर कर सकते हैं।

शांति और

विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की शुरुआत 1999 में विश्व विज्ञान सम्मेलन में हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन बुडापेस्ट में हुआ था। हर साल ये दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन समाज की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक हठों पर बहस में व्यापक जनता को जोड़ने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है।

इतिहास

इस दिवस की शुरुआत 1999 में विश्व विज्ञान सम्मेलन का एक परिणाम है। विज्ञान और समाज के प्रतिबद्धता के संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन बुडापेस्ट में हुआ था। जिसे यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद द्वारा सह-आयोजित किया गया था। जिसमें प्रत्येक वर्ष विज्ञान और वैज्ञानिकों के ज्ञान के उपयोग और तय किये लक्ष्यों को प्राप्त करना और उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करना था। इसी के साथ कई प्रतिनिधियों ने विज्ञान के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने की बात का समर्थन किया। इसी कार्यक्रम में इथियोपिया और मलावी के प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटिश

विश्व विज्ञान दिवस

एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस के साथ मिलकर विश्व विज्ञान दिवस का प्रस्ताव सबसे सामने रखा।

पूरे विचार विमर्श के बाद यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अक्टूबर 2000 में 162 वें सत्र में यूनेस्को ने सामान्य सम्मेलन के 31



वें सत्र में इस दिवस को अनुमोदित किया। इस सम्मेलन के सकारात्मक परिणाम स्वरूप 2001 में यूनेस्को ने शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। इसके बाद पहला शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर 2002 में मनाया गया।

विश्व विज्ञान दिवस 2022 थीम हर साल की तरह शांति और विकास के

लिए विश्व विज्ञान दिवस इस साल भी एक नई थीम के साथ मनाया जाएगा। इस

साल की थीम सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान तय की गई है।

उद्देश्य

शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को विज्ञान के विकास के बारे में सूचित किया जाए। यह उस उल्लेखनीय नाजुक ग्रह के बारे में हमारी समझ को व्यापक बनाने और हमारे समाजों को अधिक टिकाऊ बनाने में वैज्ञानिकों की भूमिका को भी रेखांकित करता है।

महत्व

शांतिपूर्ण और स्थायी समाज के लिए विज्ञान की भूमिका पर जन जागरूकता को मजबूत करना है। देशों के बीच साझा विज्ञान के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना है। समाज के लाभ के लिए विज्ञान के उपयोग के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करना तथा विज्ञान के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करना और वैज्ञानिक प्रयास के लिए समर्थन जुटाना है।

सूत्रपात हुआ उनके कर्णधार राजा राममोहनराय, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द, अरविन्द घोष, रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि देशभक्त थे। इन महापुरुषों ने जहाँ विविध क्षेत्रों में अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किये, वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रयास किये। इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विनाशकारी प्रभाव को समझ कर देश की सभ्यता एवं संस्कृति के अनुकूल शिक्षा के भारतीयकरण का प्रयास किया तथा अनेक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर लोगों में देशभक्ति की चेतना जाग्रत की।

हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी, अहमदाबाद की गुजरात विद्यापीठ, बनारस की काशी विद्यापीठ, बोलपुर (प.बंगाल) की शांति-निकेतन या विश्व भारती आदि इसी प्रकार के राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र थे। इन महापुरुषों एवं उनके द्वारा स्थापित इन शिक्षा-संस्थाओं का भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा था।

प्रत्येक वर्ष 12 नवम्बर को भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 12

नवम्बर 1896 डॉ. सालिम अली का जन्म दिवस है, जो कि विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे। उन्हें भारत में पक्षी मानव के नाम से भी जाना जाता था। पद्मविभूषण से नवाजे गये परियों के इस मसीहा को प्रकृति संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए कभी भुलाया नहीं जा सकता है।

सालिम अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। सालिम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी-विज्ञान के विकास में काफी मदद दी। सन् 1906 में दस वर्ष के बालक सालिम अली की अटूट जिज्ञासा ने ही पक्षी शास्त्री के रूप में उन्हें आज विश्व में मान्यता दिलाई है। पक्षियों के सर्वेक्षण में 65 साल गुजार देने वाले इस शख्स को परियों का चलता फिरता विश्वकोष कहा जाता था। पद्म विभूषण से नवाजे इस परियों के मसीहा के प्रकृति संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।

जीवन परिचय

भारत के बर्डमैन डॉ. सालिम मोइजुद्दीन अब्दुल अली का जन्म 12 नवम्बर, 1896 को बॉम्बे (अब मुम्बई), ब्रिटिश इंडिया में एक सुलेमानी बोहरा मुस्लिम परिवार में हुआ। ये अपने भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। इनके जन्म के एक वर्ष बाद पिता मोइजुद्दीन का और तीन वर्ष बाद माता जीनत-अन-नीसा का देहांत हो गया। उनकी परवरिश मामा अमरुद्दीन और औलादहीन मामी हमीदा बेगम की देखरेख में खेतवाड़ी, मुंबई में एक मध्यम-वर्गीय परिवार में हुई। इनका सारा बचपन चिड़ियों के बीच ही गुजरा। एक गौरैया के गरदन के पीले धब्बों की जिज्ञासा उन्हें मुंबई की नैचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव डब्ल्यू.एस. मिलार्ड के पास ले गई। यह मुलाकात उनके जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुई। सालिम को पहली बार पक्षियों की इतनी सारी प्रजाति होने की जानकारी हुई। यहीं से उनका झुकाव परियों की ओर हुआ और उन्होंने इनके बारे में सब कुछ जानने की ठान ली। इसके लिए मिलार्ड ने उनकी बहुत मदद की। उन्होंने सालिम को

राष्ट्रीय पक्षी दिवस



सोसाइटी के पक्षियों के संग्रह से परिचित कराया। साथ ही पक्षियों से संबंधित कुछ पुस्तकों से भी अवगत कराया। एडवर्ड हैमिल्टन ऐटकेन की पुस्तक कॉमन बर्ड्स ऑफ बॉम्बे ने सालिम को पक्षियों के संग्रह के लिए प्रेरित किया। सालिम के पास विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था उनका गणित में कमजोर होना। हालांकि कॉलेज में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन डिग्री नहीं ले पाए थे।

सालिम अली की बचपन से ही प्रकृति के स्वच्छन्द वातावरण में घूमने की रुचि रही। इसी कारण वे अपनी पढ़ाई भी पूरी तरह से नहीं कर पाये। बड़ा होने पर सालिम अली को बड़े भाई के साथ उसके काम में मदद करने के लिए बर्मा (वर्तमान म्यांमार) भेज दिया गया। यहाँ पर भी इनका मन जंगल में तरह-तरह के परियों को देखने में लगता। घर लौटने पर सालिम अली ने पक्षी शास्त्री विषय में प्रशिक्षण लिया और बंबई के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के म्यूजियम में गाइड के पद पर नियुक्त हो गये। फिर जर्मनी जाकर इन्होंने उच्च प्रशिक्षण प्राप्त किया। लेकिन एक साल बाद देश लौटने पर इन्हें ज्ञात हुआ कि इनका पद खत्म हो चुका है। इनकी पत्नी के पास थोड़े-बहुत पैसे थे। जिसके कारण बंबई बन्दरगाह के पास किहिम नामक स्थान पर एक छोटा सा मकान लेकर सालिम अली रहने लगे। यह मकान चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ था। उस साल वर्षा ज्यादा होने के कारण इनके घर के पास एक पेड़ पर बया पक्षी ने घोंसला बनाया। सालिम अली तीन-चार माह तक बया पक्षी के रहने-सहने का अध्ययन रोजाना घंटों करते रहते।

डॉ. सलीम अली ने अपना पूरा जीवन पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली परियों की जुबान समझते थे और इसी खूबी की वजह से उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा गया। उन्होंने पक्षियों के अध्ययन को

आम जनमानस से जोड़ा और कई पक्षी विहारों की तामीर में सबसे आगे रहे।

कोयम्बटूर स्थित सालिम अली पक्षी विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केंद्र (एसएसीओएन) के निदेशक डॉ.पी.ए. अजीज ने बताया सालिम अली एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने पक्षी विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया। कहा जाता है कि वह पक्षियों की भाषा बखूबी समझते थे।

सन 1930 में इन्होंने अपने अध्ययन पर आधारित लेख प्रकाशित कराये। इन लेखों के कारण ही सालिम अली को पक्षी शास्त्री के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। सालिम अली ने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। सालिम अली जगह जगह जाकर परियों के बारे में जानकारी एकत्र करते रहते थे। एकत्र जानकारीयों के आधार पर तैयार हुई उनकी पुस्तक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स ने 1941 में प्रकाशित होने के बाद रिकॉर्ड बिक्री की। यह पुस्तक परियों के बारे में जानकारीयों का महासमुद्र थी। उन्होंने एक दूसरी पुस्तक हैण्डबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एण्ड पाकिस्तान भी लिखी, जिसमें सभी प्रकार के पक्षियों, उनके गुणों-अवगुणों, प्रवासी आदतों आदि से संबंधित अनेक व्यापक जानकारीयों दी गई थी। इसके अलावा उनकी लिखी पुस्तक द फाल ऑफ ए स्पीरो भी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की घटी घटनाओं का जिक्र किया है।

बर्लिन विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक इरविन स्ट्रेसमैन के तहत काम किया। वह वर्ष 1930 में भारत लौटे और फिर पक्षियों पर तेजी से काम शुरू किया। आज़ादी के बाद सालिम बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएसए) के प्रमुख लोगों में रहे। उन्होंने भरतपुर पक्षी विहार की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई।

डॉ. सलीम अली ने प्रकृति विज्ञान और पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दिशा में उनके कार्यों के महनेजर उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान दिए गए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें भारत सरकार ने भी उन्हें सन 1958 में पद्म भूषण व 1976 में पद्म विभूषण जैसे महत्वपूर्ण नागरिक सम्मानों से नवाजा।

27 जुलाई 1987 को 91 साल की उम्र में डॉ. सालिम अली का निधन मुंबई में हुआ।

साभार : विकिपीडिया

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को घोषणा की, मंत्रालय ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद करते हुए भारत के इस सपूत के जन्मदिन को मनाने का फैसला किया है। 2008 से हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसे अवकाश के रूप में घोषित किया जाएगा। देश के सभी शैक्षणिक संस्थान साक्षरता के महत्व और शिक्षा के सभी पहलुओं के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता पर बेर काई और नारों के साथ सेमिनार, संगोष्ठी, निबंध-लेखन, भाषण प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं और रैलियों के साथ दिन को मनाने की घोषणा करते हैं।

इस दिन को स्वतंत्र भारत में शिक्षा प्रणाली की नींव रखने और क्षेत्र में देश के वर्तमान प्रदर्शन का मूल्यांकन और सुधार करने में आजाद के योगदान को याद करने के अवसर के रूप में भी देखा जाता है। यह दिवस भारत सरकार भारत के पहले



शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में हर 11 नवंबर को मनाया जाता है। वैधानिक रूप से इसका प्रारम्भ 11 नवम्बर 2008 से किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म जन्म 11 नवम्बर 1888 को हुआ था। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे।

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं शान्ति निकेतन अर्थात् विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत की सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय शिक्षा संस्था है जिसकी स्थापना डॉ. रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ई में की थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देश में जिस पुनर्जागरण तथा क्रांति के आन्दोलनों का

स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं, कैंसर को दूर भगाएं

प्रारंभिक अवस्था में पता चलने पर कैंसर को आसानी से ठीक किया जा सकता है - डॉ. नितिन वानखेडे

बुलंद गोंदिया - भारत में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। यह दिन कैंसर और इसके लक्षणों के साथ-साथ इसके उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। 2014 में, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने नवंबर में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाने की शुरुआत की। उन्होंने इस घातक बीमारी को समय रहते पकड़ने की जरूरत को पहचानते हुए दिन की शुरुआत की। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मेडम क्यूरी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में उनके महान योगदान को याद करने के लिए यह दिन मनाया जाता है।

कैंसर आज भी दुनिया के सामने एक जानलेवा समस्या है। कैंसर से हर साल हजारों लोगों की मौत होती है। जब कैंसर ने पहली बार दुनिया का सामना किया, तो यह धारणा थी कि धूम्रपान करने वालों को ही कैंसर होता है, या केवल तम्बाकू खाने वालों को ही कैंसर होता है। लेकिन धीरे-धीरे पेट का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और अन्य कैंसर दुनिया के सामने आने लगे और सचचाई सामने आई कि कैंसर किसी को भी और किसी भी तरह से हो सकता है और तभी से कैंसर का डर ज्यादा होने लगा। सबसे डरावनी बात तो यह है कि कई बार कैंसर शरीर में होते हुए भी पता नहीं चलता। लेकिन जैसे-जैसे साल बीतते गए,



विज्ञान उन्नत होता गया और अब ऐसे उपचार हैं जो आपको कैंसर से बचा सकते हैं। लेकिन आज भी लोग कैंसर के बारे में जागरूक नहीं हैं या इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। डॉक्टर ने बताया कि इस संबंध में कुछ जागरूकता पैदा करना जरूरी हो गया है। इस बार नितिन वानखेडे ने दिया।

धूम्रपान, तंबाकू उत्पादों का सेवन, उच्च वसायुक्त आहार, जहरीले रसायनों के साथ काम करना या रहने वाले क्षेत्र में अत्यधिक रसायनों का उपयोग करना, आनुवंशिकता, कुछ विषाणुओं के संपर्क में आना और प्रतिरक्षा प्रणाली का कम होना आदि कैंसर होने के प्रमुख कारण हैं। कैंसर के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश में हर साल 11 लाख नागरिक कैंसर से पीड़ित हैं और इससे बाहर हैं। नेशनल रजिस्ट्री प्रोग्राम के मुताबिक 5 लाख लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं। एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि दुनिया में हर छह में से एक मौत कैंसर की वजह से होती है। अपर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ने बताया कि कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करने और इसकी रोकथाम

को बढ़ावा देने के लिए 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है।

कैंसर अब एक आम बीमारी हो गई है इसलिए हर किसी को इसके बारे में जानना जरूरी है या यह सच में कैंसर है? हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है और शरीर का विकास कोशिका विभाजन से ही होता है। जब तक हम 18 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं, तब तक ये कोशिकाएं अरबों बार विभाजित हो जाती हैं। यह कोशिका विभाजन प्रतिरूपित और नियंत्रित होता है। इन कोशिकाओं के विभाजन से भी कैंसर होता है। हमारे शरीर के विकास के लिए कोशिका विभाजन बहुत जरूरी है, लेकिन इस विभाजन को नियंत्रित किया जाना चाहिए। यदि यह विभाजन नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो व्यक्ति कैंसर का शिकार हो जाता है।

कैंसर का क्या इलाज हो सकता है?

कैंसर के लिए कई प्रकार के उपचार हैं। उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति के शरीर में कैंसर कितनी दूर तक फैल चुका है और यह किस अवस्था में है। कैंसर के उपचार के विकल्पों में कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्प्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी आदि शामिल हैं।

कैंसर के इलाज का तरीका मरीज के स्वास्थ्य और उसके परिवार के इतिहास पर भी निर्भर करता है।

अगर कैंसर का पता शुरुआती दौर में चल जाए तो इसे बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है।

अनधिकृत लेआउट के लिए जांच समिति गठित

बुलंद गोंदिया - गोंदिया जिले के राज्य राजस्व, पशुपालन, डेयरी विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल के दौरे के दौरान निजी व्यक्तियों द्वारा गोंदिया शहर और क्षेत्र लेआउट में स्थान का अतिक्रमण, निजी व्यक्तियों द्वारा नगर परिषद की सीटों का अतिक्रमण, विभिन्न जन प्रतिनिधियों से निजी व्यक्तियों के नाम पर सरकारी भूमि के अभिलेख बनाने तथा आपसी विद्वेष्टी की

शिकायत की गयी। जिलाधिकारी नयना गुंडे ने इस शिकायत के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अपर जिलाधिकारी राजेश खवले की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की है। जांच समिति इस प्रकार है अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी गोंदिया, जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख गोंदिया, मुख्याधिकारी नगर परिषद सड़क अर्जुनी सहायक संचालक नगर संरचना गोंदिया को

सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जांच समिति की पहली बैठक 15 नवंबर 2022 को 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय हॉल (डीपीसी हॉल) में होगी। तदनुसार सभी आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों को अगर इसके बारे में कोई जानकारी है या शिकायत है तो वे समिति के समक्ष अपना बयान दें। यह अपील कमेटी के अध्यक्ष राजेश खवले ने की है।

साइबर खतरा



तकनीक ने लोगों की जिंदगी को जितना आसान और सुविधाजनक बनाया है, उसी अनुपात में जोखिम भी पैदा किए हैं।

आज हालत यह हो चुकी है कि एक ओर व्यक्ति, उसकी निजी जानकारियां और सार्वजनिक गतिविधियां साइबर तंत्र के तहत ब्योरों और आंकड़ों में दर्ज होने लगी है, तो दूसरी ओर इन आंकड़ों तक कुछ अवांछित समूहों या लोगों की पहुंच हो जाती है और वे उसका इस्तेमाल आपराधिक

तौर पर भी अपने मुनाफे के लिए करने लगते हैं। तकनीक पर निर्भरता के समांतर इसके बेजा इस्तेमाल के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं।

भारत में अभी आंकड़ों की सुरक्षा की दीवार बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए यहां साइबर खतरों का दायरा बढ़ा होता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे विकसित देश ऐसे जोखिम से पूरी तरह सुरक्षित हैं। बीते हयते शुक्रवार को इनर्जी आस्ट्रेलिया में हुई आंकड़ों की चोरी उन घटनाओं की महज एक कड़ी है, जिनमें सिर्फ बीते एक महीने के दौरान आस्ट्रेलिया के सात प्रमुख व्यवसाय आंकड़ों की संधमारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या ने दुनिया भर में यह चिंता पैदा की है कि आधुनिक होती तकनीकी की दुनिया में डेटा की चोरी क्या एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है।

दरअसल, आंकड़ों में संधमारी की लगातार बढ़ती घटनाएं दुनिया भर में गैरकानूनी तौर पर चल रहे समूहों या कंपनियों के जरिए अंजाम दी जा रही है जो लोगों का डेटा हासिल करके उनका सौदा करती हैं। पहले वे अपनी जरूरत के लक्षित तबकों के आंकड़ों में संध लगाती हैं, फिर उन्हें अन्य साइबर अपराधियों को बेच देती हैं। हालांकि इस तरह आंकड़ों में संधमारी करने वाले लोग आज विस्तृत साइबर अपराध के बड़े संजाल का एक छोटा-सा हिस्सा भर हैं।

मुश्किल यह है कि अगर दुनिया भर में इस अपराध से निपटने के लिए कोई ज्यादा सक्षम और उपयोगी तरीका और तंत्र विकसित नहीं किया जाता है तो यह चुनौती किसी एक देश या वहां के नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगी। यह छिपा नहीं है कि पिछले कुछ समय से आनलाइन अपराध खासतौर पर आंकड़ों की चोरी के मामले में तेजी से अपने पांव फैलाता जा रहा है और इसके सहारे बड़े साइबर हमलों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है।

गौरतलब है कि साइबर अपराधों की दुनिया में आंकड़ों की चोरी के जरिए मुख्य रूप से बड़ी फिरोती हासिल करने की कोशिश की जाती है। तकनीकी दक्षता के साथ किसी व्यक्ति या फिर कंपनी के उपकरण या उसकी कंप्यूटर और इंटरनेट व्यवस्था को पूरी तरह टप कर दिया जाता है और इसके बदले फिरोती वसूली जाती है। यह साइबर अपराधों की दुनिया में ज्यादा परिष्कृत तरीके के फैलता जाल है।

ज्यादातर आम लोग तकनीक का इस्तेमाल तो करते हैं, मगर आमतौर पर उनके पास इसके सुरक्षित उपयोग का प्रशिक्षण नहीं होता है। तकनीकी के विकास की रयतार इतनी तेज है कि जब एक यंत्र या उसके स्वरूप के साथ कोई व्यक्ति अभ्यस्त होने लगता है, तब तक कोई नई या बदली हुई तकनीक आ जाती है। जरूरत इस बात की है कि आधुनिक तकनीकी के फैलते दायरे को अगर एक व्यवस्था के तौर पर स्वीकृत किया गया है तो हर स्तर पर इसके उपयोगकर्ताओं और आम लोगों के आंकड़ों या डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारें जरूरी कदम उठाएं। वरना यह आम लोगों के साथ खुद सरकारों के लिए भी एक बड़ा जोखिम पैदा करेगा।

मुफ्त कानूनी समाधान... लोक न्यायालय के माध्यम से

राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार 12 नवंबर 2022 को जिला एवं सभी तहसील न्यायालयों में लंबित एवं पूर्व दायर विवादों का सुलह एवं समझौता के माध्यम से समाधान करने हेतु राष्ट्रीय लोक न्यायालय का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में निर्णायक मुकदमों, लोक न्यायालय की प्रकृति, उसके लाभ के बारे में एक विशेष लेख...।

गाँव-गाँव के झगड़ों को निपटाने की हमारी प्राचीन परम्परा रही है। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे अधिमानतः सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। गाँव के पुराने परिचित आपस में मिल जाते हैं और आपसी किसी भी तरह के विवाद को समझ कर सुलझा लेते हैं। जिनके सामने विवाद लाया गया, वे गाँव के सम्मानित और निष्पक्ष लोग थे। इसे ग्राम पंचायत कहते हैं। वर्तमान में लोक न्यायालय इस ग्राम पंचायत का आधुनिक रूप है। जन अदालतें वहाँ होती हैं जहाँ कानून जानने वाले निष्पक्ष लोगों की ज्यूरि उनके सामने आने वाले मामलों में न्यायोचित समझौते पर पहुँचने के लिए काम करती है।

लोक अदालत के लाभ

साक्ष्य, जिरह, लंबी बहस से मामले में परहेज होता है, फ़ैसला जल्दी होता है। पीपुल्स कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं है। एक निर्णय मुकदमेबाजी को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। चूंकि लोक न्यायालय का निर्णय आपसी समझ से होता है, न किसी की जीत होती है और न ही हार। इसलिए, निर्णय दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है। परिणाम आपसी सहमति से होने के कारण आपस में कोई द्वेष और कटुता नहीं है। न्यायालय के आदेश के अनुसार लोक अदालत में पारित निर्णय का क्रियान्वयन न्यायालय के माध्यम से किया जा सकता है। लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों में समय और धन दोनों की बचत होती है और कानून के अनुसार कोर्ट फीस वापस की जाती है।

समझौता की प्रकृति वास्तव में क्या है?

भूमि अधिग्रहण : भूमि अधिग्रहण के बाद दिया गया मुआवजा कम होने की शिकायत दर्ज कर अतिरिक्त मुआवजा मांगा जाता है। हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न सरकारी निर्णय पारित किए हैं, और

तदनुसार पर्याप्त बढ़े हुए मुआवजे का प्रावधान किया गया है। उस आधार पर लोक अदालत के दौरान दोनों की सहमति से पक्षकारों को मुआवजा मिल रहा है। चूंकि उक्त निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है, सरकार या भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण जल्द ही मुआवजे की राशि अदालत में जमा करता है।

मोटर दुर्घटना दावा : मामूली चोट, मृत्यु जैसे दावों की कुछ श्रेणियों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुआवजा प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं। मामले में गवाह साक्ष्य के समान मानदंड के आधार पर मुआवजा दिया जाता है। ऐसे मामलों को लोक अदालत में मध्यस्थता से सुलझाया जा सकता है। बीमा कंपनी द्वारा आवेदक को राशि का तुरंत भुगतान किया जाता है। वहीं अगर फ़ैसला सबूतों पर आधारित है तो इसमें समय भी लगता है और अपील की भी संभावना रहती है। तदनुसार, आवेदक को कभी-कभी उच्च न्यायालय जाना पड़ता है और वास्तव में राशि प्राप्त करने में देरी हो सकती है।

चेक बाउंस : ज्यादातर मामले क्रेडिट संस्थानों या वित्तीय संस्थानों से लिए गए कर्ज की अदायगी में जारी किए गए चेक से संबंधित हैं। यदि मामला न्यायालय में जाता है, तो या तो अभियुक्त को दण्डित किया जाता है या मामला खारिज कर दिया जाता है और अभियुक्त मुक्त हो जाता है। ऐसे मामलों में अपील की संभावना होती है। पूरे वित्तीय संस्थान की कानूनी वसूली की जल्दी नहीं होती है और आरोपी भी स्थायी रूप से बरी हो जाता है। लोक अदालत में ऐसे मामलों पर चर्चा की जाती है और फिर उनका फ़ैसला किया जाता है। यदि अभियुक्त को भुगतान की जाने वाली राशि स्वीकार्य है, तो लोक अदालत के दिन अदालत में कुछ राशि का भुगतान करके और शेष राशि के लिए अवधि निर्धारित करके एक डिफ़्टी बनाई जाती है। यह वादी को भी बरामद करता है और अभियुक्त को अदालतों, पुलिस, वारंट, अपीलों के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। यदि अभियुक्त डिफ़्टी के अनुसार व्यवहार नहीं करता है, तो इसे न्यायालय के माध्यम से लागू किया जाता है। तदनुसार, अभियोजन एजेंसी को राशि की वसूली की

कानूनी गारंटी मिलती है। न्यायालय शुल्क के रूप में आरोपित लाभ की वसूली की जाती है।

वैवाहिक मुद्दे : अधिकांश वैवाहिक विवाद संचार की कमी के कारण होते हैं। एक वैवाहिक विवाद चार या पांच अलग-अलग मामलों को जन्म देता है। लोक अदालत के दौरान तकनीकी और विशेषज्ञ माध्यमों से दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित किया जाता है। इसलिए, उनके कार्यों के परिणामों का एहसास होता है, गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। अब हमारे पास फैमिली कोर्ट है। उनके पास विशेषज्ञ परामर्शदाता हैं, वे मदद कर सकते हैं। पार्टियां इस तरह की चर्चाओं में अनौपचारिक रूप से और बिना दबाव के स्वतंत्र रूप से बोल सकती हैं। समग्र रूप से उपयुक्त तरीके से बातचीत की तकनीकों का उपयोग करके वैवाहिक मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है।

दीवानी दावे : इसका एक अच्छा उदाहरण विभाजन के दावे हैं। कानून रिश्ते और उसके आधार पर शेयर्स को परिभाषित करता है। मामले में, गवाह साक्ष्य को कानून के ढांचे के बाहर फ़ैसले की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे समय में अगर आमने-सामने बातचीत हो तो बातचीत का रास्ता निकाला जा सकता है। महत्वपूर्ण रूप से, निर्णय सिद्ध होने पर अपील की संभावना के कारण योगात्मक सम्मानों के वास्तविक वितरण में लंबा समय लगता है। कई बार हम देखते हैं कि मामले पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते रहते हैं। वहीं लोक अदालत में सीधे आवंटन तत्काल किया जा सकता है। कोई अपील न होने से पारिवारिक कलह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। अन्य दीवानी मामलों में भी विवाद को कानून के आधार पर सीधी बातचीत से स्थायी रूप से सुलझाया जा सकता है।

समझौता आपराधिक मामले : अधिकांश मामले ऐसे होते हैं कि अभियोजन पक्ष की अभियुक्तों को दंडित करने की कोई छिपी इच्छा नहीं होती है। ऐसे तर्क अहंकार या गलतफहमी से ही पैदा होते हैं। ऐसे में विभिन्न मार्गों का सत्यापन कर समझौता किया जा सकता है।

जिला सूचना कार्यालय गोंदिया

विश्व डायबिटीज दिवस

विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस मधुमेह से उपजे जोखिम के बारे में बढ़ती चिंताओं के प्रतिउत्तर में वर्ष 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ (आईडीएफ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा बनाया गया था। 160 से अधिक देशों में विश्व के सबसे बड़े मधुमेह जागरूकता अभियान के साथ विश्व मधुमेह दिवस वर्ष 2006 से संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक दिवस है।

अभियान का लक्ष्य

- पूरे वर्ष आईडीएफ के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मंच बनाना।
- प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मधुमेह का सामना करने के लिए समन्वयित और मजबूत कार्रवाई करने के महत्व को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक संचालक बनाना।
- यह अभियान मधुमेह की जागरूकता के लिए वैश्विक प्रतीक के रूप में नीले वृत्त वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो कि मधुमेह की महामारी के जवाब में वैश्विक मधुमेह समुदाय की एकता का प्रतीक है। विश्व मधुमेह दिवस वर्ष 2017 का विषय षाहिला एवं मधुमेह- स्वस्थ भविष्य हमारा अधिकार है।

मधुमेह के बारे में तथ्य

- वर्ष 2014, विश्व में 422 मिलियन लोग (11 में 1 व्यक्ति) मधुमेह से पीड़ित है।
- वर्ष 2015, भारत में मधुमेह के 69।1 मिलियन मामले (वयस्क जनसंख्या का 8.7 प्रतिशत) थे।
- किशोरावस्था के दौरान प्रारंभिक व्यवहार के कारण वयस्कों में 70 प्रतिशत समयपूर्व मृत्यु बहुत अधिक है।
- वर्तमान में 199 से अधिक महिलाएं मधुमेह से पीड़ित हैं तथा 2040 तक कुल संख्या की 313 मिलियन होने की संभावना है।
- विश्व स्तर पर महिलाओं में मधुमेह मृत्यु का नौवां प्रमुख कारण है, जिससे प्रतिवर्ष 2.1 मिलियन मृत्यु होती हैं।
- मधुमेह से पीड़ित हर पांच महिलाओं में से दो प्रजनन अवस्था में हैं।
- 7 जन्मों में से 1 गर्भाबंध मधुमेह से प्रभावित है।
- महिलाएं घरेलू पोषण एवं जीवन शैली आदतों की द्वारपाल हैं, क्योंकि उनके पास घर और उससे आगे की रोकथाम को चलाने की क्षमता है।

मधुमेह क्या है?

मधुमेह क्रोनिक रोग है, जिसमें व्यक्ति की रक्त शर्करा उच्च (हाइपरग्लेसीमिया) हो जाती है या शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है या शरीर इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करता है। इंसुलिन अम्लशय द्वारा उत्पादित हार्मोन है। यह ऊर्जा बनाने के लिए शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए ग्लूकोज (कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ को ग्लूकोज में विभाजित करता है) में मदद करता है। लंबी

अवधि में हाइपरग्लेसीमिया शरीर की क्षति और विभिन्न अंगों एवं ऊतकों की विफलता के साथ जुड़ा है।

मधुमेह मुख्यतः तीन टाइप का होता है-

- मधुमेह टाइप 1 : शरीर पर्याप्त इंसुलिन पैदा नहीं करता है।
- मधुमेह टाइप 2 : शरीर इंसुलिन पैदा करता है, लेकिन इसे अच्छी तरह से उपयोग नहीं करता है।
- गर्भकालीन मधुमेह : गर्भावस्था में अस्थायी स्थिति होती है।

मधुमेह टाइप 2, जोखिम के कारक :

- व्यायाम की कमी, अधिक वजन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, अस्वास्थ्यकर आहार।
- यहां पर अपने मधुमेह टाइप 2 के जोखिम की जांच एवं कार्रवाई करें।
- आनुवंशिकी, उम्र और मधुमेह का पारिवारिक इतिहास में मधुमेह होने की संभावना बढ़ती है तथा इसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन अस्वास्थ्यकर भोजन और व्यायाम की कमी बदल सकती है।
- मधुमेह के लक्षण : बार-बार पेशाब जाना, अत्यधिक



प्यास, वजन में कमी एवं धुंधली दृष्टि है।

- मधुमेह के लिए नैदानिक मानदंड (वर्ष 2006 डब्ल्यूएचओ की सिफारिश के आधार पर)। यदि निम्नलिखित मापदंडों में से एक या एक से अधिक मापदंडों पाए जाते हैं, तो मधुमेह का निदान किया जाना चाहिए -

फास्टिंग प्लाज़मा ग्लूकोस $\geq 7A0$ mmol/l (126 mg/dl) (फास्टिंग को कम से कम आठ घंटे तक कैलोरी का सेवन न करने के रूप में परिभाषित किया जाता है) 75ह मौखिक ग्लूकोजटॉलप्लाज़मा ग्लूकोस $\geq 11A1$ mmol/l (200 mg/dl) की मौखिक खुराक के दो घंटे के बाद होता है।

जटिलताएं

अस्वस्थ तरीके से मधुमेह का प्रबंधन गंभीर जटिलताएं जैसे रेटिनोपैथी, हृदय रोग, गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं, मधुमेह पीड़ित पैर, पेरिओर्डॉन्टल, किडनी रोग, न्यूरोपैथी और समय से पूर्व मृत्यु पैदा करता है। परिणाम

बेहतर आत्म-प्रबंधन और स्वास्थ्य पेशेवर की सहायता द्वारा मधुमेह से पीड़ित लोग लंबा एवं स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।

मधुमेह टाइप 1 को वर्तमान जानकारी से रोका नहीं जा सकता है।

मधुमेह टाइप 2 की रोकथाम

- अपने जोखिम के कारकों के बारे में जानें और कार्रवाई करें।
- स्वस्थ आहार का सेवन करें।
- सक्रिय रहें।
- आदर्श वजन बनाए रखें।
- तंबाकू से बचें एवं अल्कोहल का सीमित सेवन करें।
- शीघ्र निदान के लिए नियमित जांच कराएं।
- नियमित प्रस्तावित दवा का सेवन करें।
- मधुमेह की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय गतिविधियां

एम-डायबिटीज मोबाइल एप्लिकेशन

अन्य भागीदारों और भारत के लिए डब्ल्यूएचओ के देश वाले कार्यालय के सहयोग से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (एमओएचएफडब्ल्यू) ने मधुमेह की रोकथाम और देखभाल के लिए मोबाइल स्वास्थ्य पहल एम-डायबिटीज की शुरुआत की है। अधिक जानकारी मधुमेह कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 011-22901701 पर मिस्ड कॉल करें या [http:// mdiabetes.nhp.gov.in/](http://mdiabetes.nhp.gov.in/) पर ऑन लाइन रजिस्टर करें।

प्रमुख एनसीडी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए वर्ष 2010 में एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा कैंसर, मधुमेह, रक्तवाहिनी (हृदय रोग) और स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के अलावा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोग का जल्दी पता लगाना, मामलों का रफ़रल एवं प्रबंधन करना है। जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग भी मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सामान्य कैंसर (मुख, स्तन और ग्रीवा कैंसर) के लिए वर्ष 2017 में शुरू की गयी है।

मूल संदेश :

- मधुमेह से पीड़ित सभी महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के बेहतर परिणामों की प्राप्ति एवं देखभाल तथा अपने मधुमेह प्रबंधन के लिए बेहतर शिक्षा के लिए किफायती तथा उचित पहुंच की आवश्यकता है।
- गर्भवती महिलाओं को मां और बच्चे के सकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए जाँच, देखभाल और शिक्षा की सुधारणात्मक पहुंच की आवश्यकता है।
- भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में महिलाएं और लड़कियां मुख्य वाहक हैं।
- मधुमेह को उपचारित नहीं किया जा सकता है। इस रोग को केवल नियंत्रित किया जा सकता है।

साभार : विकिपीडिया

क्रांतीसुर्य भगवान बिरसा मुंडा सही मायने में स्वतंत्रता के असली हकदार - विधायक अग्रवाल



बुलंद गोंदिया - विधायक विनोद अग्रवाल के हस्ते ग्राम बटाना में क्रांतीसुर्य भगवान बिरसा मुंडा व वीरगंगा रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमिपूजन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के निमित्त विधायक विनोद अग्रवाल ने क्रांतीसुर्य भगवान बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में बताते हुए कहा की भगवान बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और स्वतंत्रता के असली हकदार भी बिरसा मुंडा थे।

विधायक विनोद अग्रवाल ने राणी दुर्गावती के जीवन की व्याख्या बतलाते हुए कहा कि, रानी दुर्गावती हमारे देश की वो वीरगंगा है, जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा

के लिए मुगलों से युद्ध कर वीरगति को प्राप्त हो गईं। वह बहुत ही बहादुर और साहसी महिला थीं, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल उनका राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ीं। हमारे देश के इतिहास की बात की जाये तो बहादुरी और वीरता में कई राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में एक शख्सियत ऐसी भी है जोकि अपने पराक्रम के लिए जानी जाती है वे हैं रानी दुर्गावती ऐसी व्याख्या बताते हुए मौजूद लोगों को संबोधित किया।

पिछले 3 वर्षों के कामों के बारे में और भी ऐतिहासिक संकल्पित योजना और

किसान हित में कृषी गोदाम, धान्य बेचने में स्वतंत्रता, और युवाओं के लिए रोजगार की दृष्टि से वाचनालय और महिलाओं के लिए भी बचत गट भवन का निर्माण साथ ही ऐसे अनेक परोपकारी संकल्पनाओं के बारे में संक्षिप्त में बताकर विधायक बनाने के लिए दिए गए प्रेम हेतु सभी बटाना के वासियों का आभार व्यक्त किया और आनेवाले समय में भी इसी प्रकार से प्रेम बरसाए एसी अभिलाषा व्यक्त की और कहा कि जनता के सुख दुःख और उनके साथ ही सभी वर्ग के लोगों के हित में विकासकार्य कर जनता के लिए प्रेम का कृण चुकाने का प्रयत्न करता रहूँगा ऐसा आश्वासन किया।

इस कार्यक्रम के अवसर पर भूमिपूजक के रूप में विधायक विनोद अग्रवाल, अध्यक्ष के रूप में मुनेश रहांगडाले, पंचायत समीती सभापती तथा दीपप्रज्वलक के रूप में टिटुलाल लिहारे, नरेश नागरीकर, नारायण कुसराम, विजय कुसराम, अमरसिंह मलघाम, भारत पंधरे, तुलाराम ठाकरे, नन्थूभाऊ रहांगडाले, रहांगडाले सर, गणेशभाऊ तुलशीकर, पटले सर, सुरेंद्र साठवने, तंटामुक्ती अध्यक्ष, श्रावणभाऊ रहांगडाले, ज्ञानेश्वर येडे, सोमेंद्र टेंभरे, बलराम कुसराम, नंदलाल कुसराम, बंसोडजी कृषीकुमार रहांगडाले, गुलाब ठाकरे, प्रतीक रहांगडाले, विश्वनाथ रहांगडाले मधुभाऊ इत्यादी कार्यकर्ता तथा ग्रामस्थ मौजूद थे।

टीबी टोली परिसर में रामकृष्ण नगर फलक का अनावरण

बुलंद गोंदिया गोंदिया शहर के टीबी टोली परिसर में रामकृष्ण नगर का नामांतरण कर फलक का अनावरण परिसर के वरिष्ठ नागरिक पी.के. पटले के हस्ते संपन्न हुआ। इस अवसर पर रमणी राव, छाया तितरमारे, चंद्रकला कुरसंगे, इंदु चौधरी, श्रीमती रामणी राव, भारतीय जैतवार, सुनीता पटेल, एम.ए. चौधरी, केशव फुंडे, बी.के. बिसेन, पी.के. पटले, अमित



नागपुरे, आशीष नागपुरे, जयंती बिसेन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे तथा उपरोक्त कार्यक्रम के लिए परिसर के सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम बहेलिया ने विशेष सहयोग दिया।

सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत तिरोड़ा शहर और आसपास के गांवों के विकास को गति - सांसद प्रफुल पटेल



बुलंद गोंदिया - पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक तिरोड़ा के सिधी कालोनी सिधी सभागार में सांसद प्रफुल पटेल की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस अवसर पर क्षेत्र के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों ने पटेल से नगर परिषद, ग्राम पंचायत चुनाव एवं अन्य विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

सांसद प्रफुल पटेल ने कहा कि तिरोड़ा में अडानी पावर प्लांट के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योजना के तहत तिरोड़ा शहर और आसपास के गांवों के विकास को बढ़ावा दिया गया है। धापेवाड़ा और कवलेवाड़ा सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से हजारों हेक्टेयर कृषि की सिंचाई के कारण, किसान विभिन्न फसलों को उगाने और कृषि से उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सक्षम हैं। साथ ही हमारी मांग है कि मौजूदा सरकार कवलेवाड़ा फेज 2 का काम जल्द से जल्द शुरू करे। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान हमने किसानों को बोनस देने का वादा किया था और इस तरह किसानों को धान का बोनस मिला, इस साल भी किसानों को 1000 रुपये का बोनस मिले और 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ की खरीद सीमा बढ़ाई जाए। ऐसी मांग मौजूदा सरकार से की गई है। प्रफुल पटेल ने कहा कि हम हमेशा किसानों और आम लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं और बिना किसी संदेह के ऐसा करते रहेंगे कि पदाधिकारी और कार्यकर्ता आम लोगों का काम करें।

सांसद प्रफुल पटेल के साथ राजेंद्र जैन, परशुरामकर, राजलक्ष्मी तुरकर, भोजलाल धमचे, प्रेमकुमार रहांगडाले, अविनाश जायसवाल, योगेंद्र भगत, विशाल शेंडे, रफीक खान, जिब्राइल पठान, नरेश कुंभरे, रविकांत बोपचे, अजय गौर, प्रभु अच्यता, रामकुमार अच्यता, राजेश गुनेरिया, ममता बैस, प्रशांत डहाट, जगदीश कावे, ममता हटवार, विजय बुराडे, नासिर गनीवाला, राहुल गहरवार, बबलू ठाकुर, राजेश श्रीरामे, दिनेश वैद्य, इंदु हीरापुरे, संतोष मेश्राम, इन्तेहान शेख, रामाजी ऊके, देवीदास जोशी महाराज, नेहा तरारे, दीपक जायसवाल, योगिता कावले, भरत मालेवर, इकबाल भाई शेख, नागेश तरारे, प्रकाश ज्ञानचंदानी, बालू येरपुडे, महेश अरेवानी, भाग्यश्री केदवतकर, वनमाला ढाका, सुकाजी चौधरी, वंदना चन्हाण, मुन्ना बिजादे, धर्मेंद्र चौधरी, रफीक शेख, नितिन लारोकर, मुकेश बरकर, अलकेश मिश्रा, किरण बंसोड, भूपेंद्र पाटले, भवनीसह बैस, मनोहर तरारे, गोपीचंद कावडे, मायाराम सोनेवने, दिलीप बोर्घरे, विकास निखुडे, निर्मलाबाई मुले के साथ तिरोड़ा तहसील और शहर पार्टी के अधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

इस अवसर पर सांसद प्रफुल पटेल के नेतृत्व में विश्वास करते हुए, जो किसानों और खेत मजदूरों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, कई कार्यकर्ता धर्म शेंडे, नागेश शेंडे, वेनिला उके के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। मुंडीकोटा से दिलीप कामडे, गुरु शेंडे, सोनू कामडे पटेल ने प्रवेश करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी के दुपट्टे से स्वागत किया।

बाघनदी तट पर माँ गंगा महाआरती कर साक्षात् काशी दर्शन की अनुभूति हुई प्राप्त - राजेन्द्रजैन

बुलंद गोंदिया - गोंदिया तहसील के बाघनदी तट पर श्री विट्ठल रुखमिनी मंदिर ट्रस्ट कोरनी द्वारा कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर 9 नवंबर को जिले में प्रथमतः माँ गंगा महाआरती का आयोजन पूर्व विधायक राजेन्द्र जैन, पूर्व सांसद मधुकर कुकड़े, विधायक राजु कारेमोरे के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ।

पूर्व विधायक राजेन्द्र जैन ने गोंदिया जिले और बालाघाट जिले के मध्य बाघनदी के इस पावन भूमि पर श्री विट्ठल रुखमिनी मंदिर ट्रस्ट द्वारा भव्य माँ गंगा की महाआरती का लाभ लेकर सभी के सुख और समृद्धि की मनोकामना इस पावन तट पर की। जैन ने कहा कि यहां प्रति वर्ष दो दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन मन्त्रमुग्ध कर देता है। ट्रस्ट के स्व. शिवशंकरजी



तुरकर, हरिहरभाई पटेल के माध्यम से इस धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की शुकवात हुई। गंगा किनारे की धार्मिक नगरी काशी की तरह आज कोरनी की इस पावन भूमि पर हजारों लोगों की उपस्थिति को देख कर बाघनदी भी माँ गंगा के स्वरूप में दिखाई दे रही है। माँ गंगा का जल और इसके विशेष गुण के कारण मृत्युवान मानी जाती है, इसका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लम्बे समय तक बनाये रखता है, लोग

बड़ी भक्ती भाव से माँ का पूजन करते हैं। इस दौरान जैन ने श्री विट्ठल रुखमिनी मंदिर में पूजा अर्चना की एवं माँ गंगा महाआरती में उपस्थित होकर माँ गंगा की महाआरती की।

महाआरती के आयोजन में पूर्व विधायक राजेन्द्र जैन के साथ पूर्व सांसद मधुकर कुकड़े, विधायक राजु कारेमोरे, यशवंत गणवीर, देवेन्द्रनाथ चौबे, चुन्नीलाल बेदरे, नीरज उपवंशी, सोनू कुथे, कुंदन कटारे, गणेश बरडे, प्रेम जैसवाल, अमर वराडे, डी.यु. रहांगडाले, शिवलाल जमरे, राजेश जमरे, मन्नु भैया अग्रवाल, अखिलेश सेठ, निखिल जैन, राजू एन. जैन, मृत्युंजय सिंग, अलोक द्विवेदी, माधुरी नासरे, डॉ. विनोद पटेल, डॉ. संदीप मेश्राम, सोमराज तुरकर, प्यारेलाल उडके, गोवर्धन पटेल, केतन तुरकर, नूतनलाल तुरकर, टेकचंद तुरकर,

रोहित जैन, आशिक जैन, नुकराम तुरकर, कौशल पटले, प्यारेलाल चौधरी, ओमप्रकाश ठाकरे, बलिराम ऊडके, भैयु चौबे, कालू बूडेकर, रमन उके, कुणाल चौगणडे, अविनाश महावत, राज शुक्ला, लव माटे, दर्पण वानखेडे, योगी येडे, पंकज पटले, दुर्गाप्रसाद तुरकर, सम्भु असादी, अतीत तुरकर, धर्मेंद्र परिमल, रामलाल उडके, तपेस सोनवाने, हंस ठाकरे, अर्जुन कचवाह, शिवम खोखरे, संकल्प जैन नगरतन, नागों सरकार, सुनील, मुकेश पटले, विनोद तुरकर, सुधीश तुरकर, प्रमोद तुरकर, नारायण तुरकर, माधो पटले, राहुल दुबे, सुभाष शेंडे, गणेश उडके, कनक दोनोडे, रौनक ठाकुर, नरेंद्र बेलगे, सरभ मिश्रा आदि अथिति व मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं कोरणी (जिस्टोला) के सम्स्त ग्रामवासी समेत हजारों नागरिकों की उपस्थिति थी।

श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण ही पुण्य कर्म - गोपालदास अग्रवाल

बुलंद गोंदिया - फूलपुर ग्राम में संत श्री भगवानशरण बापू की ओजस्वी वाणी में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ में पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल ने पहुंचकर संत श्री भगवान शरणबापू एवं श्रीमद् भागवत कथा की पूजा अर्चना कर व्यास पीठ का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह बहुत हर्ष की बात है कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में अनेकों स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन स्थानीय नागरिकों एवं समाजसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर

गांव-गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ के आयोजन से जहां समाज में एकता की भावना निर्माण हो रही है वही नागरिकों को श्री कृष्ण के रूप स्वरूप व चरित्र को आत्मसात करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भारतवर्ष संतों की भूमि रही है इस भूमि पर हजारों वर्षों से अनेक संतों महात्माओं ने परमात्मा के प्रति नागरिकों में भक्तिभाव को जागृत रखने का कार्य किया है। हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक महत्व श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का माना गया है एवं इसे परमात्मा से मिलने एवं जीवन को कृतज्ञ करने का सरल सुगम मार्ग है



परिसर के नागरिकों को चाहिए कि वे इस आयोजन में बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर व्यासपीठ से भागवत कथा का वाचन कर रहे पूज्य संत श्री भगवान शरण बापू के श्री मुख से कथा का श्रवण करें तथा भारतीय संस्कृति के

अनेक दिव्य चमत्कारों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर अपने जीवन को आलोकित करें, ऐसे उद्गार गोपालदास अग्रवाल ने अजनीकर परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् कथा के अवसर पर व्यक्त किए।

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed through this notice that Mr. Pankaj A. Deokar, S/o Late Abhasaheb Deokar, Resident of Plot No. 12 & 13, Flat No. 302, Maha Lakshmi Nagar, Manewada, Nagpur (Maharashtra) 440024, has been absconding with office infrastructure including Four Wheeler (Mahindra Bolera MH35AG9416), One Unit of Laptop, one unit of Printer, documents of different projects (including projects implemented with support of NABARD, WCL, JSA, etc.) of the organization, Social Action for Rural Development. He is no more in employment with Social Action for Rural Development, a registered Society with address: Chotki Murram, Ramgarh Cantt., Ramgarh (Jharkhand) 829122. He does not represent the organization and the organization shall not be responsible for whosoever is dealing with him.

Secretary

Social Action for Rural Development